

**THE SLUMS AND JHUGGI-JHOPRI AREAS (BASIC AMENITIES AND
CLEARANCE) BILL, 2002**

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the basic minimum amenities of water, electricity, sanitation and health facilities in slums and Jhuggi-Jhopri clusters and for the clearance of such areas in larger public interest and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) in the Chair.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1998

(to amend the Eighth Schedule) -- contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Now we take up further consideration of the Constitution (Amendment) Bill, 1998 (to amend the Eighth Schedule). Dr. L.M. Singhvi to continue his speech.

डा. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, वैसे तो पिछली बार जोगरी भाषा और राजस्थानी भाषा को लेकर जो चर्चा यहां हुई थी, मैंने उसमें भाग लिया था और मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला था किन्तु आज मैं केवल यही बात कहना चाहता हूँ कि संविधान बनाते समय 8वीं अनुसूची के विषय में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, बल्कि आधार यह था कि जनता की मांग क्या है, जनता की इच्छा क्या है, लोगों का कहना क्या है और उसको किस प्रकार संविधान में जगह दी जाए।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस बात को जब हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पता चलेगा कि जब संविधान बन रहा था, तब ऐसी स्थिति थी कि अलग-अलग देशी राज्यों का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं था और उस समय वैज्ञानिक आधार पर इस बात की चर्चा भी नहीं हुई। किन्तु बात इतिहास की भूलों की नहीं है, बात है हमारी राजनीतिक संवेदना की। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि हम जो कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि उस बात के बहाने हम इस काम को मुलतवी करते जाएं और इसे मुलतवी करने से कहीं अधिक नुकसान न हो जाए।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि राजस्थानी भाषा की बड़ी समर्थ परंपरा रही है। जिस भाषा का ऐसा इतिहास रहा हो, जिस भाषा में शौर्य और श्रंगार का ऐसा सम्मिश्रण रहा हो, जिस भाषा में अस्मिता की अभिव्यक्ति के लिए ऐसा अवसर मिला हो, उस भाषा को स्वीकार

महोदय, 1967 से लेकर अब तक कई भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गईं। जब-जब वे भाषाएं जोड़ी गईं, तब-तब कोई आयोग नहीं बनाया गया, कोई समिति नहीं बनाई गई। महोदय, सिंधी भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी को जोड़ा गया, मलयालम को जोड़ा गया, मणिपुरी को जोड़ा गया, नेपाली को जोड़ा गया। जब इन सभी भाषाओं को जोड़ा गया, तब यह प्रश्न नहीं था कि इसके लिए कमीशन बनाइए, तब जाकर यह काम होगा। सच बात तो यह है कि इतने बड़े भूखंड की भाषा और इतनी बड़ी जनसंख्या की भाषा को संविधान में स्थान न देना, एक ऐसी भूल है जिससे कभी भी जन-आंदोलन खड़ा हो सकता है और इससे व्यर्थ ही दोनों पक्षों का आमना-सामना हो सकता है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात को उपसंहार की ओर ले जाते हुए यह कहना चाहूंगा कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जिस भाषा की प्रशस्ति की, सर आशुतोष मुखर्जी ने जिस भाषा की प्रशस्ति की, जिस भाषा के बारे में सुनीति कुमार चटर्जी ने बार-बार यह कहा है कि इस भाषा की मान्यता होनी ही चाहिए। जिस भाषा के विषय में भाषाविद और दूसरे लोग एकमत हैं कि इस भाषा का विस्तार बहुत है, इस भाषा की गहराई बहुत है, इसका सघन साहित्यिक अविदान बहुत है। अगर इस वक्त यह हो सके तो मेरा यह आग्रह सरकार से है कि कभी तो प्राईवेट मेम्बर के बिल को कुछ जगह दीजिए, कभी तो प्राईवेट मेम्बर की बात सुनिए, कभी तो ऐसा हो कि जो वाजिब बात है उसको आप स्वीकार कर लें या फिर आप स्वयं इसको करना चाहते हैं तो एक समय की अवधि निर्धारित कर दें कि इस समय की अवधि में हम इसको अवश्य कर लेंगे। वैसे तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप सिद्धान्तः इसको मानते हैं तो आज ही इसको स्वीकार कर लें और कहें कि हम इसको मान लेते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह प्रस्ताव मंत्री की तरफ से हुआ है या किसी सदस्य की तरफ से हुआ है। विधेयक तो विधेयक है और उस विधेयक को स्वीकार करने में सिद्धान्तः और व्यावहारिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है तो मेरा आग्रह है कि इसको स्वीकार किया जाए। अगर इसको स्वीकार नहीं किया जाता है तो कम-से-कम एक ऐसा समय निश्चित कर दें कि उस समय में आप अपनी बात स्पष्ट कर देंगे और तब तक हम प्रतीक्षा करेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इस विधेयक को वापस लूं या इस विधेयक को वोट के लिए रखा जाए। उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछली बार आपने देखा था और मंत्री महोदय उसके साक्षी हैं कि प्रत्येक सदस्य ने डोगरी और राजस्थानी भाषा की जो मिली-जुली बहस थी, उसका समर्थन किया था। बात केवल मत की नहीं है, बात यही है कि आप इस पर विचार करें और सरकार इस पर संवेदनापूर्वक, सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इसको स्वीकार करने का एक स्पष्ट संकेत तो आज अवश्य दे दे। धन्यवाद ●

THE QUESTION WAS PROPOSED

श्रीमती जमना देवी बारुवाल: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर बोलना चाहती हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचीरी): अभी आप बैठ जाइये। जब आपकी बोलने की बारी आये तब आप बोलना। श्री मूल चन्द मीणा।

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्य सिंधवी जी ने जो व्यक्तिगत विधेयक पेश किया है, सदन को सर्व-सम्मति से इसे मंजूरी दे देनी चाहिए। राजस्थानी भाषा को राष्ट्रीय भाषा की आठवीं अनुसूची में जोड़ने के लिए काफी दिनों से मांग

घली आ रही है। भाषा से राष्ट्र की एकता को मजबूती मिलती है। राष्ट्रीय भाषा की सूची में भाषा को रखने से लोगों का सम्मान बढ़ता है, तो सभी लोगों का सम्मान बढ़ाने के लिए, सभी लोग अपनी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनने पर खुश होते हैं, वे इस खुशी को अपने मन के अंदर महसूस करते हैं। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए राजस्थानी भाषा को संविधान की अनुसूची में जोड़ दिया जाए। उपसभाध्यक्ष महोदय, राजस्थानी भाषा केवल राजस्थान में नहीं बोली जाती है। यह राजस्थानी भाषा हिन्दुस्तान में तो बोली ही जाती है इसके अलावा दुनिया में भी बोली जाती है। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर राजस्थानी भाषा बोलने वाले लोग नहीं रहते हों। राजस्थानी भाषा अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनने की स्थिति में है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब संविधान बना तो उसमें 14 भाषाएं राष्ट्रीय भाषा घोषित की गईं। उसके बाद संशोधन करके उसमें चार भाषाएं और जोड़ दी गईं, लेकिन राजस्थानी भाषा को उसमें नहीं जोड़ा गया। राजस्थानी भाषा को संविधान की अनुसूची में जोड़ने के लिए राजस्थान में कई बार आंदोलन भी हुए। राजस्थानी भाषा विश्वविद्यालयों में पढ़ाई भी जाती है। राजस्थानी भाषा के कई लेखकों और विद्वानों को पुरस्कृत भी किया गया है। इसलिए एक ऐसी भाषा, जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा हो - दूसरे देश के अंदर भी जब कोई राजस्थानी जाता है और उसे वहां कोई राजस्थानी मिल जाता है तो वह उससे राजस्थानी भाषा में ही बात करता है। ऐसी भाषा को अगर राष्ट्रीय भाषा की सूची में जोड़ा जाता है तो उससे राजस्थान के लोगों को तो लाभ होगा ही, लेकिन देश से बाहर रहने वाले लोगों को भी इससे लाभ होगा क्योंकि बाहर रहने वाले व्यापारी भी राजस्थान के लोगों से संपर्क करने में ज्यादातर राजस्थानी भाषा का प्रयोग करते हैं। महोदय, जो भी भाषा हो, जो राष्ट्र की एकता में सहयोगी हो, राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने में सहयोग करती हो, ऐसी भाषा को अगर राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया जाता है तो उससे उन लोगों के साथ न्याय होता है, उन लोगों की भावना की कद्र होती है। महोदय, राष्ट्र को तोड़ने का, राष्ट्र को खंडित करने का भाषाओं का काम कभी नहीं रहा है। भाषा सीखने की लालसा, भाषा सीखने का मन हर आदमी का होता है कि मैं इस भाषा को सीख लूं। आप हिन्दुस्तान के अंदर ही देख लें। हम हिन्दीभाषी हैं, अंग्रेजी भाषा हमारे बीच में आयी है। आज हमारे कई विद्वान जो हिन्दीभाषी हैं, वे गांव में हिन्दी बोलते हैं लेकिन यहां पार्लियामेंट के अंदर अंग्रेजी बोलते हैं। वे लोग सीखते हैं और इससे राष्ट्र की भावना को कोई ठेस नहीं पहुंची, राष्ट्रीयता को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब इससे राष्ट्रीयता को नुकसान नहीं होता, राष्ट्रीयता को एक करने में मजबूती मिलती है और ऐसी राजस्थानी भाषा को यदि राष्ट्रीय भाषा की सूची में जोड़ दिया जाता है तो इससे राजस्थान के लोगों का भी भला होगा और राजस्थान के लोगों की भावनाओं की भी कद्र होगी कि हमारी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। धन्यवाद

श्रीमती जमनादेवी बारपाल : राजस्थानी भाषा को दस करोड़ से भी अधिक लोग बोलते हैं। दिल्ली साहित्य वालों ने भी इसे मान्यता दे दी है। इसके अतिरिक्त तीन विश्वविद्यालयों में भी राजस्थानी भाषा पढ़ाई जाती है। इसलिए मैं आपकी बात का समर्थन करती हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : आपका नाम लिखा हुआ है, आप तब बोलिएगा।

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय डा० सिंघवी के इस प्रस्ताव पर गत सप्ताह भी हम लोग यहां पर चर्चा करने की मनःस्थिति में थे, परिस्थिति में थे। हम लोग डोगरी पर बोल रहे थे और जब आसंदी से मेरा नाम पुकारा गया तो मैंने उसमें जिक्र

किया था कि मैं डोगरी और राजस्थानी के संघिस्थल पर खड़ा होकर बात कर रहा हूँ क्योंकि पहले डोगरी का प्रस्ताव आया था और उसके बाद ही इस प्रस्ताव को लेना था। मैं अपनी खुशकिस्मती मानता हूँ कि इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए आपने मुझे भी समय दिया। राजस्थानी के बारे में बात करते समय एक गर्व जो मन में महसूस होता है, उससे मैं स्वयं को सराबोर पाता हूँ। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय राजस्थानी के मूल में यदि हम जाएंगे तो हम पाते हैं कि डिंगल से प्रायः भाषाशास्त्री इसकी शुरुआत मानते हैं। यह भाषा पहले डिंगल थी और घन्दबरदाई से एक परम्परा शुरू होती है। आज राजस्थानी बोलने वाले परिवारों का या राजस्थानी बोलने वाली जनसंख्या का अगर हम आकलन करें तो कई करोड़ से इसकी तुलना हो सकती है, पांच, सात या आठ करोड़ तक आप इसको ले जा सकते हैं, जहां तक यह भाषा बोली जाती है - इसके विभिन्न रूप हो सकते हैं लेकिन राजस्थानी बोली जाती है। अगर लिखी जाती है तो उसकी लिपि देवनागरी है। इसके अतिरिक्त लोग जो एक डर कभी-कभी मन में पैदा कर देते हैं कि इससे हिन्दी को नुकसान होगा, राष्ट्रभाषा को नुकसान होगा तो यह चीज़ गत सप्ताह इसी वार्ता के दौरान स्पष्ट हो चुकी थी कि राजभाषा या राष्ट्रभाषा को इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, उल्टा हम पाएंगे कि हिन्दी इससे समृद्ध होगी। महोदय, छोटे-छोटे क्षेत्रों में राजस्थानी के कई रूप हैं लेकिन कुल मिलाकर राजस्थानी राजस्थानी ही कही जाती है और इसकी एक विशेषता है-जैसा अभी मूलघन्द मीणा और उनसे पहले डा० सिंघवी चर्चा कर रहे थे- राजस्थानी परिवार कहीं भी रहेगा, संसार के किसी भी देश में रहेगा, वह घर में अपनी भाषा राजस्थानी ही बोलता है। उसकी दूसरी भाषा जो राजस्थानी के बाद शुरू होती है, वह हिंदी है और तीसरी भाषा फिर वहां की भाषा हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है या उस देश की भाषा हो सकती है। अपने गर्व को, अपने गौरव को, अपनी महिमा को लेकर, अपनी महत्ता को लेकर करोड़ों परिवार सारे संसार में फैलकर इतना महिमामंडित करके अपनी मातृभाषा को बचाकर रखते हैं। डेढ़-दो सौ या तीन सौ सालों से वे परिवार उन प्रदेशों में रहते हैं, व्यापार करते हैं लेकिन उन्होंने अपनी भाषा नहीं छोड़ी। इसके बदले में वे हमसे मांगते क्या हैं? मांगते सिर्फ एक चीज़ है कि उनके गौरव को हम संविधान में भी सम्मानपूर्वक अंकित कर दें, आठवीं अनुसूची में हम कहीं न कहीं उसको स्थान दे दें और इस बात से उनको आश्वस्त कर दें कि जितना ध्यान आप अपनी भाषा का रखते हो, उतना ही ध्यान यह देश और संविधान भी आपकी भाषा का रखता है। गृह मंत्री महोदय ने गत सप्ताह जो बयान दिया था, उसमें ठीक ही कहा था। उसमें उन्होंने एक डर जैसी स्थिति पैदा कर दी थी, हालांकि उन्होंने आश्वस्त करने की कोशिश की थी। डर यह बता दिया था कि इस तरह से 32 भाषाओं के बारे में व्यापन और पड़ा है। जिन पर आपको विचार करना होगा। यह छोटा काम नहीं है, यह बड़ा काम है और उसके मापदंड अभी तय नहीं हुए हैं कि उसका आप कौन सा आधार लेंगे, कौन विशेषज्ञ बैठेंगे जिससे इन 32 भाषाओं के साथ भी इंसाफ हो सके। तब डोगरी और राजस्थानी के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे। मैं नहीं जानता कि उसमें वे लोग क्या फैसला करेंगे लेकिन किसी न किसी मोटे निर्णय पर तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा। आप भूगोल को आधार न बनाएं तो इतिहास को बनाएं, इतिहास को आधार न बनाएं तो संस्कृति को बनाएं, संस्कृति को आधार न बनाएं तो उसकी व्याप्ति को बनाएं, व्याप्ति को अगर आप आधार नहीं बना सकते हो तो फिर आप कौन सी कसौटियं उसकी तय करेंगे, यह अभी तक देश के सामने स्पष्ट नहीं है। जहां तक संख्या का प्रश्न है, बहुत कम तादाद में बोली जाने वाली भाषाओं को भी हमने इसमें शामिल किया है। मैं किसी दूसरी भाषा का उल्लेख नहीं करना चाहता क्योंकि कोई भी भाषा छोटी नहीं है। हर भाषा अपनी जगह बड़ी होती है और

भारतवर्ष की क्षमता, ऊर्जा और संस्कृति में हर भाषा का पूरा महत्व है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। यदि राजस्थान स्वतंत्र देश होता, भारत का हिस्सा होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र होता तो राजस्थान के एक बहुत बड़े कवि जो कलकत्ता में बैठे हुए हैं, श्री कन्हैया लाल सेठिया, उनका एक गीत आज गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में गाया जाता है "घरती घोरयां री", वह गीत वहां का राष्ट्रीय गीत हो गया होता। यदि चन्दबरदाई से लेकर हम कल्याण सिंह राजावत तक चले आएँ, रघुराज सिंह हाड़ा तक चले आएँ, मेघराज भुक्कुल तक चले आएँ, मैं पचास कवियों के नाम ले सकता हूँ और इस सदन की जो सदस्य हैं, हमारी बहन श्रीमती सरला माहेश्वरी, उनके पूज्य पिताजी का यदि मैं नाम लूँ जो कि हिंदी और राजस्थानी के एक बहुत बड़े कवि हैं, श्री हरीश भादानी, यदि मैं उन तक इस परंपरा को लेकर आऊँ तो आप पाएँगे कि राजस्थानी में विपुल साहित्य की रचना हुई है। राजस्थानी किसी भी तरह से विपन्न नहीं है। राजस्थानी किसी भी विधा में कमजोर नहीं है। आपको उसमें नाटक मिलेंगे, आलोचना मिलेगी, गद्य मिलेगा, पद्य मिलेगा, चंपू मिलेगा, हर चीज, हर विधा में उसका साहित्य सृजन हो रहा है। तो मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूँ कि इतना विषय क्षेत्र यदि इस भाषा का है तो संसद के इस सदन को और समूची संसद को बहुत गंभीरता से इसके साथ न्याय करने का एक संकल्प लेना चाहिए। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, लंबे समय से यह परंपरा है कि सरकार एक आश्वासन लेकर आती है और फिर हम कहते हैं कि ठीक है, आप इस आश्वासन की पूर्ति कर दीजिए। हमारे माननीय सदस्य श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी जी ने पूरे तर्कों के साथ राजस्थानी भाषा को अनुवर्ती सुधी में लेने के लिए संकल्प लिया है, लेकिन मैं अपनी बात को फिर से दोहरा रहा हूँ कि यदि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली सरकार में भी इन भाषाओं को संविधान में सम्मानजनक स्थान पाने का संकल्प सिद्ध नहीं होता है या सफल नहीं होता है तो फिर आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? यह देश आखिर किसकी प्रतीक्षा कर रहा है? सदन में आप संकल्प को वापस लेने की बात करते हैं। माननीय उपसमाध्यक्ष महोदय, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ चुकि मध्य प्रदेश राजस्थान से लगा हुआ है, मेरा जिला जहां खत्म होता है वहां से 13 किलोमीटर दूर से राजस्थान शुरू हो जाता है। मैं कह सकता हूँ कि आम चुनावों में, बड़े चुनाव हों या छोटे चुनाव हों या पंचायत के चुनाव हों, राजस्थान की सरकार और लोकसभा के गठन में राजस्थानी भाषा का भाषणों में पूरा उपयोग किया जाता है और उसमें वोट मांगे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मांगे जाते हैं। जब भाषा पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के चुनाव में हमारी सहायता करती है, जिसके पास अपना व्याकरण है, हां यदि राजस्थानी के पास अपना व्याकरण नहीं होता तो हमारा तर्क कमजोर पड़ जाता लेकिन जिसके पास अपना व्याकरण हो और जो हिन्दी की समृद्धि के लिए अपनी लिपि सहित सारा अनुष्ठान लेकर बैठी हुई हो, उस भाषा के साथ ईसाफ होना चाहिए। माननीय उपसमाध्यक्ष जी, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस पर पुनर्विचार करे, इसके लिए विवश नहीं करे कि आप इस संकल्प को वापस ले लीजिए। आप वचन दीजिएगा, वादा कीजिएगा, अपने वचन को किसी तरह से भी कमजोर मत होने दीजिएगा और अपनी सरकार से कहिएगा कि सारा सदन इस मामले में एकमत है इसलिए इन भाषाओं के साथ पूरा न्याय होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डा. सिंघवी के इस संकल्प का समर्थन करता हूँ और सरकार से आग्रह करता हूँ कि आप जिस किसी भी कमेटी को इसे देना चाहें, कृपा करके उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दीजिएगा कि इतने समय के भीतर आप उससे रिपोर्ट ले लेंगे और इनके साथ ईसाफ कर देंगे।

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (सुश्री उमा भारती) : कविता के बिना भाषण कम्पलीट मत कीजिए।

श्री बालकवि बैरागी : यह राजस्थानी का मामला है और मैं जानता हूँ कि आप राजस्थानी नहीं समझ पाएंगे।

सुश्री उमा भारती : समझ जाएंगे। मारवाड़ और राजस्थान बॉर्डर पर हैं।

श्री मूल चन्द मीणा : उमा भारती जी समझ जाएं तो इसे मान्यता दिलवा दीजिएगा।

श्री बालकवि बैरागी : उमा जी ने कहा इसलिए एक दोहा, जो मेरा नहीं है, महाकवि कन्हैया लाल सेठिया का है, उसे पढ़ता हूँ और जिसने भी कहा है अगर वे इस दोहे को समझ लेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : अगर समझ नहीं पाएँ तो समझा दीजिएगा।

श्री बालकवि बैरागी : मैं समझा देता हूँ, व्याख्या भी कर देता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं महाकवि कन्हैया लाल सेठिया का दोहा पढ़ रहा हूँ। मां को हमने ईश्वर क्यों माना है? मां को ईश्वर क्यों माना जाता है? हमारे यहां एक प्रचलित बात है कि ईश्वर हम सब के साथ सशरीर रहना चाहता था किन्तु ऐसा नहीं हो सका इसलिए उसने मां को बना दिया। इस देश में यह सिलसिला चला हुआ है कि हम ईश्वर को मां मानते हैं, और मां को ईश्वर मानते हैं। आप सब मानते हैं, हम सब मानते हैं, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कन्हैया लाल सेठिया जी ने इसे सिद्ध किया है, राजस्थानी में है, यह मेरा नहीं है, उनका दोहा है। इसमें एक-एक शब्द है। अगर मेरे जैसा कवि लिखता तो फूहड़ हो जाता लेकिन जब कोई महाकवि लिखता है तो वह आराध्य की तरह हो जाता है। वह ईश्वर से जुड़ा है। गणित को जड़ माना जाता है क्योंकि गणित में डिसिप्लीन है। गणित में दो और चार होते हैं इसलिए ईश्वर का अगणित माना जाता है। महाकवि लिखते हैं, कती दौण बोबो दियो, ईश्वर अगणित क्यों है और गणित जड़ क्यों है? गणित में दो और चार होंगे, आप ईश्वर को गिनती से नहीं जोड़ सकते, महाकवि कन्हैया लाल सेठिया लिखते हैं, कती दौण बोबो दिया, मां कद राखे याद। मां यह कभी गिनती नहीं करती कि उसने बेटे को कितनी बार स्तनपान कराया। अगर मां गिनती करती तो बच्चा मर जाता या बच्चे का जीवन जीना मुश्किल हो जाता। "कती दौण बोबो दियो, मां कद राखे याद, गिनती में पड़ भूल गयो मन अणगिण रो स्वाद।" जब मनुष्य गिनती के चक्कर में पड़ गया तो अनगिनती का स्वाद भूल गया। अगर वह गिनती में नहीं पड़ता, इस सदन में इन महाकवि के साथ न्याय होना चाहिए ... (व्यवधान) ...

श्री मूल चन्द मीणा : न्याय करवा दें।

श्री बालकवि बैरागी : कती दौण बोबो दिया, मां कद राखे याद। गिनती में पड़ भूल गयो, मन अणगिण रो स्वाद। बेटा या बेटी जब मां से कहने लग जाए कि तुने मेरे लिए क्या किया, कितना किया तो वह ईश्वर को भूल जाता है। यह दोहा महाकवि कन्हैया लाल सेठिया का है और मैं सिंघवी जी के संकल्प के नीचे इस दोहे को नहीं रखना चाहता, उससे ऊपर रखना चाहता हूँ। यह एक महाकवि का दोहा है, एक बड़ा कवि संकल्प कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके हमारी बात को आगे तक पहुँचाएं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : यह विधेयक है, संकल्प नहीं है। The House is adjourned for lunch for one hour.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House re-assembled after lunch at five minutes past two of the clock,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) in the Chair.

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने इस विषय पर मुझे बोलने की अनुमति दी। मान्यवर, इस देश में भाषा एक बहुत ही संवेदनशील विषय हो गया। उसका मूल कारण यह था कि 1965-66 में मैं समझता हूँ कि कुछ जो हिन्दी प्रेमी थी उन्होंने अपने पागलपन में जिस प्रकार का अभियान चलाया उससे एक हॉस्टिलिटी साउथ में हिन्दी के प्रति पैदा हो गई और उसके कारण ही तमिलनाडु बना, उसके बाद तेलुगुदेश बना, अर्थात् भाषा इस देश को टुकड़ों में बांटने का साधन सा बन गया। राजस्थानी लैंग्वेज बहुत समृद्ध है और बहुत योग्य भाषा है, इसका मैं विरोध नहीं करता। परन्तु आठवें शैड्यूल में आने के लिए जैसा मंत्री जी ने बताया 33 भाषाएँ लाइन लगाए रखी हैं। प्रश्न उठता है कि किस प्रकार से इनको लिया जाए या नहीं लिया जाए। मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि इस मामले को एक गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ना मुनासिब नहीं होगा। सभी दलों को एक साथ बैठ करके निर्णय लेना होगा, पैरामीटर्ज बनाने होंगे कि कौन सी भाषा आठवें शैड्यूल में लाने योग्य है और उन पैरामीटर्ज में यह देखना पड़ेगा कि क्या वह भाषा अपने इलाके में बच्चों को कम से कम इंटरमीडिएट तक ऑर्ट, कॉमर्स और साइंस में शिक्षा प्रदान करने के लिए सक्षम है या नहीं। इसके अतिरिक्त उसे यह भी देखना पड़ेगा कि उस भाषा का जो लिटरेचर है वह कितना समृद्ध है, क्वालिटेटिव्ली में और क्वांटिटेटिव्ली भी, साथ ही वह कितने जोगरफीकल रिजन को कवर करती है। और फिर कितने पॉपुलेशन में वह व्याप्त है। इसके अतिरिक्त भाषाविदों को बुला करके और जो भी पैरामीटर्स आठवें शैड्यूल में लाने योग्य बनाते हैं किसी भाषा को, उनके लिए उनकी राय लेना भी आवश्यक होगी। इस देश में श्री लैंग्वेज फॉर्मूला बहुत पहले से चला आ रहा है। आज तक वह क्रियान्वित क्यों नहीं हो पाया, यह बड़ा भारी दुर्भाग्य है। मैं समझता हूँ कि इसमें भी हमारे सारे दलों को एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा और प्रत्येक प्रदेश को मजबूर करना पड़ेगा कि वह कोई तीसरी भाषा अपनाए। उसको कैसे क्रियान्वित करायेंगे, उसका बहुत ही सीधा-सादा एक फॉर्मूला बन सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश को कह दिया कि आप तमिल, तीसरी भाषा अपने यहां हाई स्कूल लेवल तक पढ़ायेंगे, बिहार को कह दिया तेलुगु, उत्तरी राज्यों में दक्षिण की भाषाएं और दक्षिणी राज्यों में हिन्दी ही काफी होगी और फिर उन स्टेट्स के जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशंस हैं या यूनिजन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके लिए बाध्य कर दिया जाए, अनिवार्य कर दिया जाए, जैसे प्रथम वर्ष में यूपी के लोगों को अगर तमिल भाषा अलाट हुई है तो जो भी बैठेगा उसको जो तमिल का पहले दर्जे का सिलेबस है, उस सिलेबस के आधार पर एक पेपर सैट होगा और उसमें पास होना अनिवार्य होगा। अगले साल दर्जा दो तक का जो सिलेबस है वह लागू होगा। धीरे-धीरे करके दस साल में तमिल में यूपी के लोगों को दसवीं के दर्जे की जो तमिल है उसमें योग्यता लानी पड़ेगी। इस तरह से हर प्रदेश में अगर एक भाषा निर्धारित की जाए और पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी

इम्तहान होते हैं स्टेड्स या सेंटर में, उन में एक पेपर अनिवार्य रूप से सेंट कर दिया जाए। उस में जब तक कैंडीडेट पास नहीं होगा तो वह क्वालीफाई नहीं करेगा, ऐसा प्रावधान कर दिया जाए। इस तरह मेरे ख्याल में अगले 10 वर्ष में हम थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला बहुत आसानी से पूरे राष्ट्र में चला सकेंगे। साउथ इंडिया में भी इसी प्रकार से दसवीं क्लास तक की हिंदी में प्रोफिसिएंसी लानी पड़ेगी। इस तरह से एक बहुत स्वस्थ और अच्छा वातावरण निर्मित होगा और पूरे देश में आज जो भाषा की समस्या चल रही है, उस समस्या का निदान हो सकता है। इस तरह के जब पैरामीटर्स बन जाएंगे तब किसी भी भाषा को आठवीं अनुसूची में लाते वक्त एक्जामिन करना पड़ेगा और उन पैरामीटर्स में जो भी भाषा सफल होती है, उस को आठवीं अनुसूची में लाने में सभी दल एक तरह से यूनानिमसली एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करेंगे अन्यथा जिस भाषा को आठवीं अनुसूची में नहीं लाएंगे, उस इलाके के लोगों के मन में एक हीनता की भावना पैदा होगी। उन को लगेगा कि हम जैसे भारत को बिलांग ही नहीं करते, जैसे कि भारत उन का देश नहीं है। तो यह जो फीलिंग है, पनपने देना बहुत ही खतरनाक होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस मामले में एक पक्की नीति जितनी शीघ्रता से निर्धारित कर सर्वदलीय बैठक बुलाकर और सभी दल एक निर्णय लेंगे तो इस समस्या का समाधान संभव हो सकता है। धन्यवाद।

डा० कुमकुम राय (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आप की बहुत आभारी हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आप ने बोलने का मुझे मौका दिया।

राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में लाने हेतु यह जो प्रस्ताव आया है, इस पर अपने विचार व्यक्त करने के पहले मैं इस उच्च सदन का ध्यान आधुनिक हिंदी साहित्य के युगप्रवर्तक साहित्यकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की कुछ पंक्तियों की तरफ दिलाना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि, "निज भाषा उन्नति होए, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को शूल।" महोदय, हालांकि उस समय हिंदुस्तान गुलाम था, अंग्रेजों की हुकूमत थी और अंग्रेजी का वर्चस्व था, ऐसे समय जब उन्होंने निज भाषा की उन्नति पर जोर दिया था तो निज भाषा से उन का तात्पर्य मातृभाषा से था। महोदय, जैसा कि मैं समझती हूँ मातृभाषा वह भाषा है जिस में शिशु माँ की गोद में दुनियावी तमाम जानकारीयों को हासिल करता है, वही भाषा मातृभाषा होती है। इसलिए भारतेन्दु जी ने जब निज भाषा में कामकाज करने, निज भाषा की उन्नति पर जोर दिया था, उस के करीब सौ सालों के बाद आज भी संविधान की आठवीं अनुसूची में जिन-जिन क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता मिली हुई है बावजूद इस के उन क्षेत्रीय भाषाओं में, उन राज्य विशेष में भी कितना सरकारी कामकाज होता है? क्या वे अनुसूची में शामिल उन भाषाओं में जो भाषाएँ हैं, क्या उन को हम ने अपनी संपर्क भाषा के रूप में भी इस्तेमाल किया है। यह अपने आप में एक सर्वेक्षण का विषय है। मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि इस विशाल हिन्दुस्तान की एक अरब से ज्यादा की आबादी, हिन्दी राजभाषा राष्ट्रभाषा होने के बावजूद, सभी प्रदेशों में सब की अपनी अपनी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और लंबा-चौड़ा इतिहास, समृद्ध साहित्य, साहित्यकारों की एक समृद्ध श्रृंखला, अपना प्राचीनतम इतिहास होने के बावजूद अंग्रेजी का जो वर्चस्व है, अंग्रेजी की जो दादागिरी है, उसके कारण हिन्दुस्तान की तमाम क्षेत्रीय भाषाओं का समुचित विकास नहीं हो पाया है। आप सब इस बात से सहमत होंगे कि भाषा भावना और विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है और व्यक्ति जिस भाषा में सोचता है उसी भाषा में यदि वह अपने भावों को अभिव्यक्त करे तो उसे जितनी सफलता मिलेगी, उतनी सफलता सोची हुई भाषा

से दूसरी भाषा में अनुवादित कर फिर उसे अभिव्यक्त करने में नहीं मिलेगी क्योंकि हम सोचते हैं अपनी मातृभाषा में और फिर हमारा मस्तिष्क शीघ्रता से उसे अनुवाद करता है अंग्रेजी में और सब हम अंग्रेजी में बोलते हैं। यही कारण है कि आज भी अनेक समस्याओं की जड़ में हिन्दुस्तान की यह भाषा नीति है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज भले ही राजस्थानी भाषा को संविधान में मान्यता दिलाने के लिए यह बात प्राइवेट बिल के रूप में आई हो, लेकिन इसकी अपनी समृद्ध परंपरा है। मीरा के भजन घर घर में गाए और गुनगुनाए जाते हैं। राजस्थानी भाषा का अपना समृद्ध साहित्य, समृद्ध साहित्यकार, समृद्ध व्याकरण है और इसलिए किसी भी दृष्टिकोण से यह अयोग्य नहीं लगता कि इसे संविधान की अनुसूची में स्थान न मिले। आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं में बोलने वाले, पढ़ने वाले और लिखने वाले तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में जब अपना उत्तर लिखते हैं तो उनकी भाषाओं के आधार पर उनके परीक्षकों की भी नियुक्तियां होती हैं। बीच में, कुछ वर्ष पहले एक विवाद सामने आया था कि एक खास आंचलिक भाषा, जिसको मान्यता प्राप्त हुई, उसमें छात्रों ने राज्य-स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं में लिखकर प्रतियोगिता में अच्छे स्थान प्राप्त किए थे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहती हूँ कि साक्षरता का संबंध भाषा है। हमने बड़े गौरव से कहा था कि हिन्दुस्तान में केरल और केरल में अर्णाकुलम में लोग शत-प्रतिशत साक्षर हुए। लेकिन, साक्षर किस भाषा में हुए? किस भाषा में साक्षरता का अंक शत-प्रतिशत अंक कर सके? इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए मैं इस बात पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगी कि हम साक्षरता की दर को देखकर के चिंतित होते हैं और साक्षरता के तमाम अभियान, कार्यक्रम और योजनाएं साल-दर-साल बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ यदि हम उस इलाके, उस अंचल, उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं में साक्षरता के लिए वैसी किताबों का प्रकाशन करें तो मेरा विश्वास है कि साक्षरता की जो दर आज आपकी है वह भी आने वाले भविष्य में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त करेगी। इसलिए मेरा कहना है कि राजस्थानी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो। सिंहल साहब ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि इसके लिए एक निश्चित मापदंड बनाए जाएं कि क्या उस भाषा में इंटरमीडिएट तक की भी शिक्षा दी जा सकती है, साइंस, आर्ट्स और कामर्स की किताबें उपलब्ध हैं, उच्च तकनीक की किताबें उपलब्ध हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल की किताबें उपलब्ध हैं और यदि नहीं है तो यह कहा जा सकता है कि इतनी निश्चित अवधि तक यदि यह भाषा सारी शतें पूरी कर लेती है तो उस पर विचार होगा। मैं सिंहल साहब के इस विचार से भी अपनी सहमति व्यक्त करना चाहती हूँ कि भाषा दिलों को जोड़ने का माध्यम बने, दिलों को तोड़ने का माध्यम न बने। किसी भी गलत आन्दोलन के लिए यह हथियार और औजार के रूप में काम में न लाई जा सके। इसके लिए सरकार को एक निश्चित भाषा नीति बनानी चाहिए और उसके कार्यान्वयन के लिए जो सख्त कदम आवश्यक हों, वे उठाए जाने चाहिए।

महोदय, कुछ वर्ष पहले त्रिभाषा फार्मूला लागू किया गया, जिसके तहत दक्षिण की कुछ भाषाएं स्कूल स्तर पर उत्तर के कुछ राज्यों में अनिवार्य की गई थीं और उत्तर की कुछ भाषाएं दक्षिण के राज्यों में अनिवार्य की गई थीं, लेकिन इच्छाशक्ति के अभाव के कारण यह त्रिभाषा फार्मूला सफल नहीं हो सका और इसे विदग्ध कर लिया गया।

इसलिए, उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इन सारे बिन्दुओं की तरफ आकर्षित करते हुए अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमें इस विषय पर बहुत गंभीरता से मनन करना होगा और मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि वह एक सख्त भाषा-नीति बनाए। हिन्दुस्तान की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए भाषा को एक साधन के रूप में हम इस्तेमाल कैसे करें, इस पर हमारी नीति बने और सिर्फ नीति ही न बने बल्कि उसका सख्ती से पालन भी किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने संबंधी इस विधेयक का समर्थन करती हूँ।

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, on a perusal of the Bill moved by Dr. Singhvi, for amending the Constitution to include Rajasthani language in the Eighth Schedule, I was somewhat surprised. When there are already eighteen languages in the Schedule, how could Rajasthani language miss it, all these days, is a big mystery. It is a six crore-populated State. People of Rajasthan are found all over the world. It is a State with a great cultural heritage, with a great literary value. So many States have included their mother tongue in the Eighth Schedule. But it is surprising to know how this Rajasthani language has not found its place in the Eighth Schedule.

Though the three-language-formula was not officially agreed to, a lot of debate went on. But you will have to accept it in today's practice. The three-language-formula is being followed. Take the example of Orissa. In Orissa, everybody speaks Oriya, Hindi and English, which, of course, is common. Take another example of West Bengal, where Bengali, Hindi and English are spoken. Like that, there are a number of States. In almost all States, the regional language along with Hindi and English are spoken. But some people always speak of only Hindi, हिन्दी होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। That is wrong. If you leave India, if you don't know English and if you want a glass of water, you will have to gesture. Otherwise, nothing will move. There is modern technology now. Science has improved tremendously in the international level. With the present modernisation and advancement in scientific research, medicine and other fields, you can't dream to achieve at the international level. Unless you know the international language, you can't expect the country to achieve in the above mentioned fields. Therefore, it is very nice that there are three languages. English and Hindi languages are already there everywhere. Now, the question is, the hon. Minister has said that thirty-three languages are in queue. Therefore, देखेंगे, सोचेंगे That is not correct. How can you equate those thirty-three languages with Rajasthani language? It is not

correct at all because they may miss a number of languages. In some States there may be eight languages. There may be tribal and other languages. They cannot be equated. There should be a system whereby we can equate a language by looking at how many people are speaking, how much population contained in that State and also how much population in India are appreciating the system. All these points have to be taken into consideration. Therefore, I strongly feel that Rajasthani language should be included. Sir, Rajasthan is not only a historical State, it is a State not only contributing to the industrial growth in India, but also in the world. We feel proud when a person born in Rajasthani is found in various parts of the world doing business. That is their luck. So, a State, which is contributing its might to the industrial growth of the country, a State which is having six crores of population, a State which has historical significance, I am surprised to know that you are not including the language of that State in the Eighth Schedule! I am also surprised to know that in Rajasthan everybody speaks Rajasthani language, besides Hindi. Therefore, even if you look at the issue from that angle, it is laudable.

If you look at it from the literary angle, you will find that Sahitya Akademy recognised Rajasthani language. Therefore, after looking from all these angles, I request the hon. Minister not to link this language with other thirty-three languages. The next point is that you have to consider the wishes of the so many crores of people.

The next point is the hon. Minister has to examine thoroughly the issue. You take, for example, West Bengal. How have you included the Bengali language in the Eighth Schedule? You have included Oriya. Of course, I do not want to go to South, because we always go with one regional language and English. Hindi is not there. At least, if you look at the Hindi-speaking States -- North, East and West -- you will find Hindi everywhere, apart from the regional language. This argument itself is enough to include Rajasthani language in the Eighth Schedule of the Constitution. Therefore, I entirely agree with Dr. Singhvi. It is a very good idea that he moved this Bill to include Rajasthani language in the Eighth Schedule. Therefore, I strongly support it. If you debate it from any angle, it is justifiable, laudable, appreciable and commendable. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Shrimati Jamana Devi Barupal -- absent.

**(THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANGH PRIYA GAUTAM)
IN THE CHAIR)**

डा. फागुनी राम (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। महोदय, राजस्थान का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। हम जब उसके इतिहास में जाते हैं तो हमारा सिर गौरव से ऊँचा हो जाता है। जब यहां के लोगों पर कठिनाइयाँ आ रही थीं, तो महाराणा प्रताप ने बड़ी वीरता से उनका मुकाबला किया था। इसलिए महाराणा प्रताप का नाम लेने से हमारा सिर गौरव से ऊँचा हो जाता है और हम में आत्मबल भर जाता है।

महोदय, राजस्थान में कुछ ऐसी चीजें हैं जो दूसरी जगह नहीं मिलतीं जैसे संगमरमर की चीजें, मूर्तियों की नक्काशी, बहुमूल्य पत्थर और उनकी नक्काशी और उन्हें तराशने की कला राजस्थानी कपड़ा, लहंगा और चुनरी। आज भी विदेशों में इन चीजों का महत्व है। हम जब अनेक जगहों पर जाते हैं तो यह देखते हैं कि सभी तरह के काम करने के लिए, कारीगरी का काम करने के लिए, घरेलू काम करने के लिए, फील्ड में काम करने के लिए, मिट्टी का काम करने के लिए, घर बनाने का काम करने के लिए, नक्काशी का काम करने के लिए, राजस्थानी कामगार मिल जाते हैं। वे लोग न हिन्दी जानते हैं, न अंग्रेजी जानते हैं, वे तो अपनी स्थानीय भाषा ही बोलते हैं। इसलिए हमें उनके हृदय की भावना को समझना चाहिए, जो हमारा निर्माण का काम करते हैं, जो हमारी प्रतिष्ठा बनाते हों, उनकी भाषा को नहीं समझने से हमें कठिनाई होती है। ऐसा लगता है कि इसी भारत के लोग केवल भाषा के नहीं जानने के चलते, हम लोगों को लगता है कि ये दूसरे हैं। अगर ये अपनी भाषा जान गये तो हमें अपनापन का एक माहौल मिल जायेगा। यह ठीक है कि हमारे देश में विभिन्नता में एकता है। यह देश इतना बढ़िया है, इतना समझदार है, ऐसा गौरवशाली है कि जहां पर तरह तरह के रीति-रिवाज हैं, तरह-तरह की वेश-भूषा है, तरह-तरह के आचम-विचार हैं, संस्कार हैं, संस्कृति है और भाषा का आदान-प्रदान भी है। हमारे यहां अनेकता में एकता है। हमारे यहां छह करोड़ राजस्थानी लोग हैं, वे बड़ी मीठी भाषा बोलते हैं, जब मगही का हो सकता है, जब भोजपुरी का हो सकता है, जब तमिल-तेलुगु का हो सकता है, जब पंजाबी भाषा का हो सकता है, तब हम समझते हैं कि राजस्थानी को भी आठवीं सूची में डाल देना चाहिए। यह राजस्थानी भाषा स्नेह को बढ़ाने वाली है। इस काम के लिए मैं बड़े भाई माननीय सिधवी साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ कि वे बहुत जरूरी विधेयक लेकर आये हैं। यह विधेयक तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इस विधेयक को वे यहां पर लाये, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ।

भाषा हमारी अभिव्यक्ति का साधन है। क्योंकि जब कोई भाषा बोली जाती है तो उससे पता चलता है कि यह व्यक्ति कहां का रहने वाला है। हम अगर उसका परिचय नहीं पूछें, उसका स्थान भी नहीं पूछें, कि वह कहां का रहने वाला है, यदि केवल यह व्यक्ति अपनी भाषा में बोले तो उससे पता चल जात है कि यह व्यक्ति फलां जगह का रहने वाला है। हम एक बात जानते हैं, अयं निजः परोवेति गणना लघुचेत्साम्, उदारचरितानाम् तु वसुधैव कुटुम्बकम्। जब हम वसुधैव कुटुम्बकम् की बात करते हैं तो राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, उसे अपना कहें, हमारे यहां भोजपुरी बोली जाती है, उसको कहें अपना। हमारे यहां मगही बोली जाती है, उसको कहें दूसरा, हम जहां से आते हैं, जहां मैथिली बोली जाती है, उसे कहें दूसरा और फिर

अंगिका भाषा बोली जाती है, उसको कहें दूसरा, एक बिहार में ही कई भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे यहां यही विशेषता है कि यहां हर धर्म के लोग, हर भाषा के लोग, हर जाति के लोग, हर रंग के लोग, हर विशेषता के लोग रहते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान अनेक भाषाओं का देश है। यहां राजस्थानी भाषा बोली जाती है, पंजाबी भाषा बोली जाती है, हरियाणवी भाषा बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है, खड़ी भाषा बोली जाती है, भोजपुरी भाषा बोली जाती है, मैथिली भाषा बोली जाती है, अंगिका भाषा बोली जाती है और कभी कहा जाता है कि साहब ये दिल्ली के लोग हैं, ये दिलवाई भाषा बोलते हैं। हमारे देश में 15-20 कोस पर भाषा और आचार-विचार बदल जाते हैं। यही हमारी विशेषता है, क्योंकि हम अपने हिन्दुस्तान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहां के आचार-विचार सीखते हैं, हर तरह की वेशभूषा और रहन-सहन सीखते हैं, शादी के रीति-रिवाज सीखते हैं, संस्कार सीखते हैं। अपने देश में हम सभी धीजों को एक साथ जान पाते हैं, यह हमारे लिए गौरव की बात है। हमारी भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। हम भाषा के माध्यम से ही अपनी बात कहते हैं। हम राजस्थानी भाषा को एक महत्वपूर्ण भाषा समझते हैं। इस देश के इतिहास को जानते हुए और इस भाषा के बोलने वालों की संख्या को देश-विदेश में जानते हुए, हम इस भाषा के महत्त्व को समझते हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। यह हमारे लिए गौरव की बात होगी और राजस्थान के लोगों को अपनापन का आभास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANGH PRIYA GAUTAM): Now, Shri Ekanath K. Thakur. You have two minutes. So, please confine to your time.

SHRI EKANATH K. THAKUR (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I do not want to make a long speech. I rise to support this Bill which has been presented before us by no less a person than Dr. L.M. Singhvi. Sir, on behalf of the people of Maharashtra, and as an Indian to another India; first, I want to apologise to Dr. Singhvi that we, the Indians, have neglected this language so far, till date, till be brought this Bill. This should have been included in the Eighth Schedule immediately after Independence, along with other languages of the Indian States. Sir, many speakers here, have recalled the great contribution that Rajasthanis have made in the field of art, literature, science, culture, business, industry, trade and commerce. Rajasthanis are in the vanguard of the Industrial Revolution in this country; the development of this country; and they have made their contribution not only in India, but in many parts of the world. They are known as a very innovative, creative and hard working community. Rajasthanis have a pride of place wherever they go. Sir, I come from the financial capital of this country, Mumbai; and Rajasthanis have made a great contribution to my city

and to my State. So, Sir, not only are there rich Rajasthanis, who are traders and industrialists, but there are poor Rajasthanis also, who are working in remote areas of our country. In my State, most of the houses are built by Rajasthanis, because they have specialisation, they have expertise, and they have a rare sense of art which they have cultivated, over the years. Our NDA Government prides itself, very rightly, on these champions of India's rich heritage and culture. And, Sir, this will be a very sincere gesture towards the Rajasthani language. It is often said that there are many languages in the Eighth Schedule. Sir, I don't understand why this should happen. We have various Indian States, which have been accepted by the Constitution, created under the Constitution and their geographical boundaries have been well-defined. In each State, we can find out, which is the largest population which speaks that language, i.e., which is the language spoken by the largest population. And, if that criterion is met, then, one or two languages of each State would be given pride of place in the Eighth Schedule. I am more than confident that the Rajasthani language deserves this honour, deserves this recompense, because even without official recognition of the language, Rajasthanis have made so much of progress. You can really wonder how much progress they could have made, if their language was honoured among other official languages of India. With these few words, as a Member of my Party, as a Member from Maharashtra, and as a Member of this House, I wholeheartedly, support the proposition here. Thank you.

SHRI R.S. GAVAI (Maharashtra): Sir, I am extending my support to this Bill. As a matter of fact, we have accepted the principle of linguistic provinces. On the basis of that, various States have been formed. You will recollect the speech of the Prime Minister, which he delivered during the Golden Jubilee Year of Parliament, wherein he mentioned that various State languages have their own place. And as we have accepted the principle of linguistic provinces, instead of leading to deviation, it would help in strengthening the unity. So, principally, I do feel that a great injustice has been done to Rajasthani language. While considering the Fifth Schedule, article 344(1) and 351, if we give a glance at the list incorporated in the Schedule, we will find that though, practically, there are 18 languages, but the point is that every State is represented, because Hindi is spoken in many States. No doubt, it is a complementary language, but Rajasthani language has its own cult. Therefore, I say that there is rather a delay on our part, and we must be thankful to Dr. Singhvi for having brought forth this Bill. After 52 years, since the formation of this Schedule, that is, in

1950, we are thinking about the injustice done to Rajasthanis, and expecting justice from the Government. Sir, I do give importance to Rajasthani language. As my hon. colleague, Shri Thakur said, I also belong to Maharashtra. Almost in every State, from the village level to the city level, Rajasthani language is spoken. In my own village, almost one-fifth of the population comprises of Rajasthanis. We do share the culture and tradition of Rajasthan. Therefore, I would like to highlight the aims and objectives of this Bill that there is a widespread and popular demand for inclusion of Rajasthani language in the Eighth Schedule. I do say that it is the demand of the Indian people. I belong to Maharashtra, but I have love and affection for Rajasthani language. It is a rational demand of the nation, as a whole, and not of Rajasthan alone. Mr. Vice-Chairman, Sir, the demand for including Rajasthani language has come up because it is rich in culture. It has a very vast literature. Literature of Rajasthani language is preserved in many Universities. It is also a subject of research in many Universities, though other local language is spoken, they have adopted the Rajasthani language, because of its richness in culture and literature. Besides, the richness of Rajasthani language and literature are recognised by the Sahitya Akademi. Therefore, as far as this language is concerned -- in spite of having a rich culture, heritage and background-- if it is not included, I feel, injustice will be done to the principle which we have accepted. As a matter of fact, every language has importance of its own, at the State level and also at the national level. I do believe that this demand has come from the whole nation, and not from Rajasthan alone. Once again, I request that the Government should come forward, and accept this demand. Once again, I extend my thanks to Dr. Singhvi, for having brought forth this Bill.

DR. M.N. DAS (Orissa): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. I could have spoken enough about Rajasthani, but I would confine myself to one or two minutes only. I, wholeheartedly, support this Bill, brought forth by my revered, superior and senior colleague, Dr. L.M. Singhvi. Sir, today, we call it Rajasthan. But, from Sixth Century A.D., till recent times, it was famous as '*Rajputana*', and its people were known as *Rajputs*. If you study the history of *Rajputs*, you will understand the real spirit of the Indian ethos, the Indian culture, the Indian heritage and the Indian tradition. Sir, *Rajputs* were not originally Indians; they were Huns, who came and destroyed the Gupta Empire and settled in *Rajputana*. But, within no time, they became so much Indianised that the whole of India accepted the *Rajput* race as the leaders of the society, the head of the community, and the head of the

entire Hindu population. That was the prestige of Rajasthan. Sir, when one reads the book entitled, "Annals and Antiquities of Rajasthan" written by Col. Tod, an Englishman, a military man, one feels very proud of this land, every place of it, every fort of it, is not only famous, but they are a part of our national heritage. Can we think of India's greatness without *Rajputana's* forts, without *Rajputana's* arts, forget about the cloth and other things. Anyway, the whole question is, Rajasthan, with a population of six crore people, is having a rich language. Sir, somebody referred to *Mirabai's Bhajans*. These *Bhajans* are very dear to every Indian heart. I wonder how is it that this language has not been able to find a place in the Eighth Schedule of our Constitution. It is good that Dr. Singhvi has brought this Bill. It has been brought at an opportune moment. I think, Sir, it is an appropriate time that we should pass this Bill. We wholeheartedly support it, because we cannot think of ourselves, feel proud of ourselves, without feeling proud of Rajasthan and Rajasthani language.

Sir, regarding the three-language formula, I would like to bring it to the notice of the House that there are more English-speaking people in India than in entire Great Britain. We cannot abandon this language.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANGH PRIYA GAUTAM): They speak better English. ...*(Interruptions)*...

DR. M.N DAS: It is a difficult thing. It is difficult to analyse. But, Sir, there are more English-speaking people in India today than in entire Great Britain. Now, Sir, regarding Hindi, I would like to say -- my South Indian friends should agree with me -- the Hindi, in '*Kathit*' sense, and in written sense, different from what is termed as '*Chalti Hindi*'. This '*Chalti Hindi*' is understood everywhere in India. When we go to South, how do we buy vegetables from the market; how do we buy fruits? It is by using the '*Chalti Hindi*'. Sir, *Chalti Hindi* has become universal all over India. Wherever you go, you will find that the people understand this *Chalti Hindi*. So, that also we have to accept as a part of Indian culture, Indian tradition. I do not want to speak more on this aspect. But I want to say one more thing on this sub-*lock*. I come from Orissa. But I feel proud of myself when I think that my ancestors came from Rajasthan. I belong to a community called '*Raju*', an abbreviated form of *Rajput*. Why? It is because the great Emperors of medieval '*Utakal*', belonging to the Ganga and the Surya Dynasties, brought our ancestors to work as their soldiers, to defend their Empire, which extended from the *Ganges* to the *Godavari*. And, we settled permanently in Orissa. We became *Oriyars*. We speak

Oriya. But, sometimes, in our sub-conscious state of mind, we think that we had come from *Rajputana*. Anyway, I thank Dr. Singhvi for having brought this Bill. I wholeheartedly support this Bill.

SHRI K. NATWAR SINGH (Rajasthan): Sir, like Dr. Singhvi, I also come from Rajasthan. He comes from West Rajasthan. I come from East Rajasthan, where the mother tongue is *brij bhasha*.

मेरी मातृभाषा बृजभाषा है। मैं राजस्थानी समझता हूँ इसमें कोई दो राय नहीं, मगर भरतपुर में, धौलपुर में, करौली में, अलवर के काफी बड़े हिस्से में बृज भाषा ही वहाँ की मातृभाषा है और यह जो ... (व्यवधान) मैं आपके जरिए सिंघवी जी से अनुरोध करूंगा कि अपने दिल में खाकसार की भी बरखास्त मान लें कि यह जो अमेंडमेंट है for the Constitution of the India to be taken into consideration, अगर इसमें बृजभाषा को भी जोड़ दिया जाए क्योंकि यह इतनी राजस्थान की भाषा है कि जैसे राजस्थानी है। यह सदन को कहने की जरूरत नहीं है कि वर्तमान प्रधान मंत्री जी भी ब्रज में पैदा हुए हैं। अगर आप मीराबाई के भजन सुनें तो वे भी बृजभाषा में हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बृजभाषा को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। ये मेरे बड़े भाई हैं, ज्यादा तो बड़े नहीं हैं उम्र में, पर थोड़े से बड़े हैं। मेरा एक नम्र निवेदन है कि जो मैंने कहा है उसे स्वीकार कर लेंगे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): उपसमाध्यक्ष जी, 11 मेम्बरों ने इस डिबेट में भाग लिया और कहीं भी कोई ऐसा स्वर नहीं था कि राजस्थानी को शामिल न किया जाए, डा. सिंघवी से लेकर कंवर साहब तक। कंवर साहब ने सिर्फ इतनी बात की कि बृजभाषा भी जोड़े और यही हमारी समस्या है। समस्या यह है कि 32 डिमांड्स सरकार के सामने हैं और कई जगह से यह बात आई है... (व्यवधान) मैथिली भी है, भोजपुरी भी है। ये सब बातें हैं। इसके लिए ही 1996 में आफिशियल लैंग्वेज के जो सेक्रेट्री थे उनकी अध्यक्षता में एक आफिसर्स कमेटी बनायी थी। उन्होंने 7-8 मीटिंगें कीं। 1997 में कीं, 1998 में कीं और कुछ क्राइटेरिया बनाया जैसे जिओग्राफिकली कितने एरिया में बोली जाती है, क्या वह लैंग्वेज साहित्य एकादमी में रिकग्नाइज्ड है कि नहीं, क्या वह उस स्टेट में, जिस स्टेट की तरफ से उस लैंग्वेज की डिमांड आ रही है, उस स्टेट ने अपनी स्टेट में उसको वन आफ द आफिशियल लैंग्वेज बना दिया है कि नहीं। इस तरह के उन्होंने तीन-चार क्राइटेरिया के तौर पर बनाए - क्या उसका लिटरेचर इतना डेवलप हो चुका है कि वाकई उसको लैंग्वेज के तौर पर एड्यु शिड्यूल में ले लिया जाए, क्या उसमें कोई डायलेक्ट तो नहीं है, डेरीवेटिव तो नहीं है, बल्कि वाकई एक इंडियन लैंग्वेज है। ये सब 5-6 क्राइटेरिया देखकर उन्होंने यह महसूस किया कि इन 32-33 की डिमांड जो हमारे सामने है इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनायी जाए क्योंकि इन क्राइटेरिया के अलावा कुछ एक्सपर्ट्स उसमें शामिल हों, कुछ स्पेशलिस्ट्स शामिल हों, कुछ साहित्यकार शामिल हों और यह बात देख लें कि कौन कौन सी लैंग्वेजेज हैं ताकि सबकी सहमति बने।

दूसरा इसमें एक पोलिटिकल एंगिल आता है कि अगर हम कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट के लिए एक या दो लैंग्वेजेज के लिए भी बिल लाएँ तो उसमें सहमति होगी कि नहीं। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि पहले पाली शामिल करो, पहले भोजपुरी शामिल करो, पहले मैथिली शामिल करो, पहले जैसे आपने कहा कि यह लैंग्वेज इसमें शामिल होनी चाहिए, जैसे आपने भी अभी

कहा और यहां से एक बहिन ने भी बताया। बी.पी. सिंहल जी ने भी यह कहा। आखिर कोई न कोई क्राइटेरिया तो इसमें बनाना होगा, जो आब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो और उस क्राइटेरिया की बेसिस पर ये 32 की 32 लैंग्वेजेज जिनकी डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने है, इनको देख लिया जाए और वह कमेटी जो रिकमेंड करे उसमें एक ही कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाकर उन सब लैंग्वेजेज को ला दिया जाए। अब तक क्या हुआ है? कांस्टीट्यूशन असेम्बली की हम सारी प्रोसीडिंग्स देखें, उसमें भी कोई क्राइटेरिया नहीं कि 14 लैंग्वेजेज किस हिसाब से उस वक्त की थीं। जितनी लैंग्वेजेज अब आई हैं - एक पन्द्रहवीं लैंग्वेज 1967 में आई थी, सिन्धी को इन्क्लूड किया था, फिर उसके बाद 1992 में तीन लैंग्वेजेज एड्थ शिड्यूल में और इन्क्लूड की थीं, अगर इन 18 लैंग्वेजेज को भी ले लिया जाए तो 96-97 परसेंट भारत के लोग उसमें कवर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी 32 लैंग्वेजेज की डिमांड है। इसलिए इन 32 लैंग्वेजेज के लिए क्राइटेरिया बनाने की बात है।

एक बात मैं आपके माध्यम से इस आगस्ट हाउस को क्लियर करना चाहता हूं कि सरकार की कतन यह नीयत नहीं है कि जैसे आम तौर पर इम्प्रेसन होता है कि कमेटी बनाई और बात गुम हो गयी। कमेटी बनी रहेगी। पता नहीं कब कमेटी की रिपोर्ट आएगी। पिछले हफ्ते जब डोगरी पर यहां बहस हुई थी, उस समय भी उसके तुरंत बाद मैंने स्वयं बात करके यह फाइल चलायी। हमने हाई पावर कमेटी बनाने के लिए फाइल चलती कर दी है। ताकि जल्दी से वह हाई पॉवर्ड कमेटी बन जाए। जो 4-5 क्राइटेरिया ऑफिसर्ज कमेटी ने रखे, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, उसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स को शामिल करके जल्दी से जल्दी उसके बारे में कोई आब्जेक्टिव क्राइटेरिया बता दें ताकि उस आब्जेक्टिव क्राइटेरिया को बनाने के साथ उन 32 की 32 डिमांड्स को देख लिया जाए और जो लैंग्वेजेज उस क्राइटेरिया से क्वालीफाई करती हों उनके लिए एक ही कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ला कर इस बात का निर्णय हो जाए। इसलिए उसमें डिले की कोई बात नहीं है। मैं यह विश्वास सदन को दिला सकता हूं और खास तौर पर डा० सिंघवी जी को कि कई दफा तो ऐसी विडंबना होती है कि जब ये तीन लैंग्वेजेज 1992 में शामिल की थीं तो उस वक्त दो क्राइटेरिया उन्होंने सामने रखे और बातचीत हुई, उसमें क्या क्राइटेरिया रखा कि एक तो साहित्य अकादमी ने उसको रिकोगनाइज किया या नहीं, हां, किया है और दूसरा यह कि क्या उन रेस्पेक्टिव स्टेट्स ने उन लैंग्वेजेज को अपनी आफिशियल लैंग्वेज बना दिया या नहीं। कांस्टीट्यूशन के 347 आर्टिकल के मुताबिक कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी स्टेट अपनी स्टेट में जो भी एक या एक से ज्यादा जिन लैंग्वेजेज को वह आफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहती है, उसको आठवें शैड्यूल में आने की जरूरत नहीं है। वह कंपीटेंट है, इंडीपेंडेंटली हरेक लैजिस्लेचर, हरेक स्टेट कंपीटेंट है कि वह जिस भाषा को अपनी स्टेट में ठीक समझती है, डिवेलप्ड समझती है, लिटरेचर के हिसाब से, साहित्य के हिसाब से जो ज्यादा बोली जाने वाली है, जैसे राजस्थानी के बारे में बात आई, डोगरी के बारे में भी बात आई और भोजपुरी के बारे में भी बात आएगी तथा मैथिली के बारे में भी बात आएगी, तो यह किसी स्टेट को मनाही नहीं है कि जब तक आठवें शैड्यूल में यह भाषा न जाए, उस वक्त तक वह उसकी अपनी स्टेट में आफिशियल लैंग्वेज नहीं बन सकती। वह बन सकती है। उन तीन भाषाओं को जब शामिल किया गया तो उस वक्त वे दोनों क्राइटीरिया पूरा करती थी, साहित्य अकादमी ने भी रिकोगनाइज किया हुआ था और रेस्पेक्टिव स्टेट्स में भी वे आफिशियल लैंग्वेजेज थीं। ... (व्यवधान) ...

श्री बालकवि बैरागी : स्वामी जी, मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूँ कि जब आपने इस आधार को मूलाधार बना करके उसको शामिल किया तब फिर सिंधी भाषा के लिए कौन सा प्रांत है जिसने उसको अपनी आफिशियल लैंग्वेज बनाया है ? सिंधी का तो कोई प्रांत हमारे पास नहीं है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANGH PRIYA GAUTAM): Do you want to make some point, Mr.Shariq?

श्री शरीफ-उद्-दीन शरीक (जम्मू और कश्मीर): महोदय, इसके पहले कि आप किसी जुबान को किसी भाषा को कंस्टीट्यूशन के आठवें शैड्यूल में लाएं, क्या इस सिलसिले में कोई सर्वे हुआ है कि उस भाषा को बोलने वाले कितने लोग हैं? कोई भाषा पुराने जमाने में 2000 साल पहले बोली जा रही थी । अब उसकी पवित्रता के लिए उसको कंस्टीट्यूशन में ठोक लें और उस भाषा को बोलने वाला कोई न हो, तो यह किस किस की बात हुई ? जैसे हम अरबी जुबान को कंस्टीट्यूशन में ले आएँ और यहां उसको बोलने वाला कोई नहीं, हम संस्कृत को कंस्टीट्यूशन में लाएं और उसको सुनने या बोलने वाला कोई नहीं हो । तो क्या इस तरह का कोई सर्वे हुआ है कि कौन सी भाषा किस इलाके में है और कितने लोग उसको बोल रहे हैं?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : नहीं, ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन कमिशनर ऑन माइनारिटी लिक लैंग्वेजेज के बारे में इस बात को देखता है, माइनारिटी लैंग्वेजेज को देखता है । कौन सी भाषा, कितने-कितने लोग भारत में बोल रहे हैं इसके बारे में मेरी जानकारी के अनुसार कोई सर्वे नहीं हुआ है । लेकिन एक अससमेंट जरूर है कि 18 भाषाएं जो आठवें शैड्यूल में हैं, 96 परसेंट भारत के लोग उनको बोलते हैं । (व्यवधान)

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : सेंसेज में भाषा लिखी जाती है । पंजाब का जो घक्कर हुआ वह इसी कारण से हुआ कि गुरुमुखी में लोग अखबार पढ़ते थे और गुरुमुखी वे बोलते थे, और हिन्दी लिखी (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANGH PRIYA GAUTAM): Mr. Singhal, you have already spoken.

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : मैं सिर्फ प्वायंट रखना चाहता था ।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : सेंसेज में कितने लोग आते हैं और कितने लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, इसके बारे में इस वक्त तो मेरे पास जानकारी नहीं है । (व्यवधान)

श्री शरीफ-उद्-दीन शरीक (जम्मू और कश्मीर): माइनारिटी कमीशन के पास ऐसा कोई जरिया नहीं है कि वह यह देखे कि कितने लोग कौन सी जुबान बोल रहे हैं ?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : इसीलिए यह बात आई कि जो आफिसर्ज की कमेटी बनी उन्होंने यह रेकमेंड किया कि एक हाई पॉवर्ड कमेटी बना दी जाए, जो जितनी डिमांड्स सरकार के सामने आई हुई हैं उन सब के बारे में यह देखे कि कौन सा आब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो सकता है, उसके बारे में वह निश्चित कर ले और फिर सारा आब्जेक्टिव क्राइटेरिया सामने आ जाएगा और सारा कंसेंसेस भी डिवेलप हो जाएगा । एक हाई पॉवर्ड कमेटी उसको देख लेगी । उसके बाद जो 32 डिमांड्स आई हैं, या कोई और डिमांड भी आ सकती है, उस वक्त उन

3.00 P.M.

डिमांड्स को देख लिया जाएगा। इसलिए इस संदर्भ में मेरी यह गुजारिश है और यह विश्वास दिलाते हुए कि सरकार की इसको डिले करने की ऐसी कोई मंशा नहीं है। जनरल इम्पेशन बह जल्द होता है कि अगर कमेटी बना दी है तो मामला बिलमुल होगा, मामला खटाई में चला जाएगा। महोदय, पिछले हफ्ते के तुरंत बाद वह फाइल चला दी गयी और उस पर एक्शन शुरू हो गया तथा हाईपावर कमेटी जल्दी बनने के बाद उसे भी कोई टाइम लिमिट दे दी जाएगी।

श्री मूल चन्द मीणा : आप ने हाई-पावर कमेटी की बात की, लेकिन हाई-पावर कमेटी के लिए टाइम लिमिट कर दें कि वह इतने टाइम में रिपोर्ट दे देगी जिस से हमें तसल्ली रहे कि इतने समय में हमारी बात सुन ली जाएगी।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : महोदय, एक विश्वास दिलाने की बात है जिस के लिए हमारा प्रयास होगा। एक हफ्ते के अंदर हम ने उस पर एक्शन शुरू कर दिया है ताकि हाई-पावर कमेटी बन जाय और जब हाई-पावर कमेटी बनाएंगे तो उस में हमारा प्रयास रहेगा कि उस की अवधि निश्चित कर दें। नॉर्मली हर कमेटी की अवधि निश्चित होती भी है और इस में भी हम कोशिश करेंगे कि उस की अवधि निश्चित कर दें ताकि उस की रिपोर्ट आने के बाद एक्सपर्ट्स से, स्पेशलिस्ट्स से, एकेडिमिशियंस से, प्रोफेसर्स से, साहित्यकारों से बातचीत कर के उन को अपने साथ एसोसिएट कर के एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सामने आ जाय। उस के बाद एक कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल आए जिस में जितनी भी लेंगेज की डिमांड्स हैं या उस समय तक और जो डिमांड्स आए, उन सब पर विचार हो। महोदय, हमें तो यह उम्मीद थी कि जब रिव्यू कमीशन ऑन कांस्टीट्यूशन बना था तो उन्होंने भी ये सारी चीजें ली थीं। हम ने वह सारे कागज उन को भेजे थे और हमारा ख्याल था कि रिव्यू कमीशन ऑन कांस्टीट्यूशन भी इस बारे में कोई क्राइटेरिया बताए, लेकिन जितनी जानकारी वेब-साइट से मिली है, चूंकि उस की रिपोर्ट अभी प्रिंट हो रही है, उस कमीशन की रिपोर्ट में अभी तक कोई ऐसी चर्चा नहीं आई है। इसलिए हाई-पावर कमेटी बनाया जरूरी हो गया है। महोदय, हाई-पावर कमेटी बनाकर जल्दी से जल्दी इस का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया निश्चित कर के इन चीजों का फैसला कर दिया जाएगा। इसी आश्वासन के साथ, मैं आप के माध्यम से इस हाउस को एश्योर करता हूं कि हमारा इरादा टालने का या देरी करने का नहीं है। महोदय, डोगरी, सिंधी, मैथिली और बहुत सी लेंगेजेज हैं जिन के संबंध में उस क्राइटेरिया से निर्णय हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ और इस विश्वास के साथ मैं डा0 सिंधवी से रिक्वैस्ट करूंगा कि वह फिलहाल इस बिल को वापिस ले लें और हम बहुत जल्दी सिंधी, डोगरी और जिन 32 भाषाओं की डिमांड्स अलग-अलग स्टेट्स से आई हैं, उन सब को कंसीडर कर के एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इष्ठांत कर के हम कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाएंगे।

डा0 लक्ष्मीमल्ल सिंधवी : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभार मानता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और इतनी गहरी सद्बोधता व संवेदनशीलता से राजस्थानी को मान्यता देने का सशक्त समर्थन भी किया। मैं उन का हृदय से आभारी हूं।

महोदय, 40 वर्षों के बाद मैं फिर से यह संकल्प संसद में लाया हूं क्योंकि इन 40 वर्षों में वही कहावत चरितार्थ हुई है कि, "नी दिन चले अढ़ाई कोस"। लेकिन इस सरकार की प्रतिबद्धता जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है, इस सरकार का आश्वासन पाकर प्रसन्नता हुई है।

महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य श्री रेड्डी ने कहा कि कोई सभयावधि निर्धारित कर दी जाए कि तीन या चार महीने में आप इस सदन को इस बात की सूचना दे देंगे कि यह रिपोर्ट है और हम यह निर्णय ले रहे हैं ।

महोदय, मुश्किल यही है कि वह जो पुराना शासन के लिए जुमला है, कामून का और शासन का जुमला है। कि, "यह मामला जेरे तजबीज है"। यह तजबीज शासन के लिए तजबीज बन गया है और यह मुख्य डा0 जॉनसन की उस उक्ति का स्मरण कराता है जिस में उन्होंने कहा था कि A committee consists of individuals who can do nothing individually and decide collectively that nothing can be done. महोदय, हम ने लोकतंत्र में एक और भी तरीका पाया है और वह यह है कि कमेटी पर कमेटी बनाते हैं, लेकिन निर्णय नहीं ले पाते हैं। महोदय, पीछे जो भाषाएं इस सूची में सम्मिलित हुई उस के लिए कभी कमेटी की जरूरत महसूस नहीं हुई । लोक शाही में कमेटी जरूरी होती है और अगर कमेटी बनानी है तो इसी सदन की बनाइए । इस सदन की कमेटी इस बात पर विचार करे । महोदय, मुझे स्मरण है मेरे निवेदन पर राजस्थान के संसद सदस्यों ने मिलकर और हमारे सदन के नेता श्री जसवंत सिंह जी ने इस आशय का पत्र माननीय गृह मंत्री जी को लिखा था कि ...। कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देनी चाहिए । आज इस माननीय सदन में बड़ी सहमति के साथ इस बात को कहा गया, किन्तु फिर भी कमेटी बनानी हो तो इस सदन की कमेटी बनाइए ताकि हम लोग स्वयं विचार करें । आखिर चार-पांच अफसरों की आप कोई कमेटी बना दें और वह हमारी बात के बाद में हमारी अपील सुनेंगे और हमारी बात पर वह निर्णय देंगे तो यह तो मैं लोकशाही के अनुरूप नहीं समझता हूँ । मेरा निवेदन यह है कि इस बात पर विचार करने के लिए या तो इस सदन की कमेटी बना दीजिए, जिसमें हम साक्ष्य ले सकते हैं, उसमें और कुछ विचार कर सकते हैं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी यहां मौजूद हैं । मैं जानता हूँ कि उनके हृदय में भाषाओं के प्रति, संस्कृति के प्रति बहुत संवेदनशीलता है और मैं आशा करता हूँ कि उनके नेतृत्व में यह निर्णय वह स्वयं ले सकेंगे । यह निर्णय एक ऐसा निर्णय है, जिसके लिए जितनी विद्वता की सामग्री चाहिए, वह सब उपलब्ध है । निर्णय करने का तरीका तो एक ही है, और न निर्णय करने के तरीके कई हैं, जिसमें कमेटी भी एक होती है । अक्सर यह होता है, कमेटी बैठती है, पहले तो वह अपना काम ही समाप्त नहीं कर पाती, लेकिन कमेटी बैठती है तो कमेटी को टाइम लेना पड़ता है, समय बहुत लगता है और अगर इतना समय लगता है तो एक ऐसी मांग जो कि लोकशाही की मांग है उसको स्वीकार करने में विलंब होता है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री मीणा जी ने अपने भाषण में यह रेखांकित किया कि कई विश्वविद्यालयों में यह भाषा पढ़ाई जाती है और श्री रेड्डी ने बताया कि इस भाषा को साहित्य अकादमी ने भी मान्यता दे दी है । उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर मान्यता दी है, जो उनके मानक हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको उन्होंने माना है । उसके बावजूद भी अगर यह कहा जाए कि अब इतनी दूसरी भाषाएं हैं तो आश्चर्य है, किन्तु दूसरी भाषाओं का तो यहां कोई विधेयक नहीं है, हम तो इस विधेयक पर बात कर रहे हैं । मेरा निवेदन यह है कि यदि इस विधेयक पर आज ही निर्णय हो जाता तो अच्छा होता । फिर भी चूंकि मंत्री महोदय ने कहा है और स्वयं गृह मंत्री जी यहां मौजूद हैं, तो मैं यह आशा करता हूँ कि एक बात अवश्य याद रखी जाएगी कि too little,

too late, यह किसी नीति का नाम नहीं है, यह अभीति का नाम है। मैं समझता हूँ कि इस बात पर विचार करते हुए हम इस बात को ध्यान में रखेंगे, जिस बात को मार्मिक रूप से हमारे मन्त्रीय सदस्य बालकवि बैरागी जी ने कहा और गवई जी ने कहा, श्री सिंहल साहब ने भी भाषा नीति के बारे में बड़ी परिक्रमा तो की, किन्तु कहा कि बात को कहीं न कहीं तो रकना होगा। मेरा एक निवेदन यह है, जैसा कि ठाकुर सहस्र ने कहा कि यहाँ इस भाषा का सवाल है, अगर इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत है तो बता दिया जाए और अगर इस भाषा के बारे में कोई दिक्कत नहीं है जो शायद तीस, चालीस, पचास और भाषाओं के बारे में है तो उस बात को अलग से लिया जाए।

उपसमाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नटवर सिंह जी की इस बात से सहमत हूँ कि भाषाओं का आदर होना चाहिए और ब्रज भाषा तो इस देश की लिंग्वा फ्रांका रही है, पूरे भारतवर्ष में इस भाषा का प्रचलन था। स्वयं गुरु तेग बहादुर जी ने अपने काव्य को ब्रज भाषा में लिखा था। यह ब्रज भाषा हमारे देश को जोड़ने वाली भाषा रही है और मैं उसका हृदय से आदर करता हूँ। इसी के साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि मीरा ने जिस भाषा में लिखा है, मैं उस क्षेत्र से हूँ वहाँ मेरा जन्म हुआ है, मीरा ने जिस भाषा में लिखा है, जैसा कि श्री व्यवेचंद मेघाणी ने कहा है, वह भाषा काठियावाड़ से लेकर प्रयाग तक प्रचलित थी और उसका नाम राजस्थानी था। मेरा यही निवेदन है कि भाषाओं के मामले में उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए क्योंकि हमारी विविधता का सबसे बड़ा परिचायक वही है। मेरे पास एक पुस्तक अभी आई है, जो श्री अमर सिंह राजपुरोहित ने लिखी है - 'इन्दर नै ओलमौ'। उसमें यही कहा है - 'आपांणी जुगां जुगां री औलखाण, अपणायत अर लोक संस्कृति नै जे अबोट राखणी है तो आपांनै मायइ भाषा सूं हेत करणी पड़सी'। यह अपनी भाषा से मित्रता करने की बात है, अपनी भाषा से प्रीति करने की बात है। इस बात को कन्हैया लाल जी सेठिया, जिनकी प्रशस्ति में हमारे बालकवि बैरागी जी ने बहुत कुछ कहा है, उनकी कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है :-

बिन्यां मानता मरुभासा री
गंगा ज्यासी सूख,
नहीं सुवारथ कोई म्हारो
नहीं नांव री मूख,
वीर भूमि री, त्याग भूमि री
नहीं रवैली ओप,
बिन्यां मानता जन भासा नै
कीरत ज्यासी लोप,
आठ कोइ भिनखां री पीड़ा
म्हारै हिव री पीड़,
नहीं एकलो, म्हारै लारै
अणगिण जण री मीड़,

यह आठ करोड़ लोगों के हृदय की व्यथा है, पीड़ा है और अंत में उन्होंने कहा कि :-

राखी चावो जड़ां जीवती
दयो मायइ नै मान !

माता को मान देने का मतलब है, जड़ों को सींचना और यह बहुत जरूरी है कि हम इस बात को भूलें नहीं। इस शब्द में, इस भाषा में जो साहित्य है, जो विपुल संगीत है, जो रस है, उसके प्रमाण में हमारे कवि गुरु श्री रविन्द्र नाथ टैगोर की चार पंक्तियों को मैं उद्धृत करना चाहता हूँ क्योंकि उससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप कहें कि हम तो कमेटी में भेजेंगे तो इसका मतलब यह है कि रविन्द्र नाथ टैगोर की बात को अब कमेटी देखेगी, उसकी जांच करेगी और यह मुझे समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा है, मैं उद्धृत कर रहा हूँ :-

'कुछ समय पहले कलकत्ते में मेरे कुछ राजस्थानी मित्रों ने रण-संबंधी कुछ राजस्थानी गीत मुझे सुनाए। मैं तो उनको सुनकर मुग्ध हो गया। उस भाषा में, उन गीतों में कितनी सरसता, सहृदयता और भावुकता है। वे लोगों के स्वाभाविक उद्गार हैं। मैं तो उनको संत साहित्य से भी उत्कृष्ट समझता हूँ। क्या ही अच्छा हो अगर वे गीत प्रकाशित किए जाएं, वे गीत संसार के किसी भी साहित्य और भाषा का गौरव बढ़ा सकते हैं। ईश्वर ने चाहा तो मैं उनको शांति निकेतन के हिन्दी भवन द्वारा भी प्रकाशित करवाऊंगा। राजस्थानी साहित्य को भारत की जनता के सामने लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा।'

यही बात स्वर्गीय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के यशस्वी पिता सर आशुतोष मुखर्जी ने कही। श्री आशुतोष मुखर्जी ने कहा था कि यह जो राजस्थानी साहित्य है, यह हमारे इतिहास की धरोहर है और इस साहित्य में ऐसे प्राण हैं, जो हमको फिर से अनुप्राणित कर सकते हैं। श्री आशुतोष मुखर्जी ने कहा :-

"But bardic poems are important as literary documents. They have a literary value and taken together form a literature which, when better known, is sure to occupy the most distinguished place amongst the literatures of the New Indian vernaculars."

उपसभाध्यक्ष महोदय, सीताराम जी लालस ने राजस्थानी शब्दकोष की रचना की थी। मैं उस समय लोक सभा का सदस्य था और मैं उनके उस शब्दकोष को लेकर उस समय के प्रधान मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पास गया। जब मैंने उनको वह शब्दकोष दिखाया तो उन्होंने पाया कि इस शब्दकोष में किसी भी भारतीय भाषा से अधिक शब्द है। अभी-अभी श्री विजय नाथ देठा ने कहावत कोष का निर्माण किया है। यह एक विशाल, विराट उपक्रम है, इसके लिए मैं हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भी आभारी हूँ कि उन्होंने उनकी मदद की है। आप देखेंगे कि इसमें लोक संस्कृति और लोक जीवन का प्राण स्पंदित होता है। मेरा निवेदन यही है कि पूरी तरह से इस बात को समझा जाए और यदि हो सके तो अभी इस पर कुछ कहा जाए, क्योंकि स्वयं गृह मंत्री जी यहां मौजूद हैं या इसको मुलतवी किया जाए और तब इस पर विचार किया जाए।

यह कहा जा सकता है कि क्राइटीरियन होना चाहिए। पैरामीटर्स की बात बहुत सैद्धान्तिक बात लगती है किन्तु यह भी समझना चाहिए The life of law is not logic; the life of law is experience. और लोकशाही में सबसे बड़ी बात यह है कि जनता की मांग यह है, जनता यह चाहती है इसको देखा जाए। मैं यह आशा करता हूँ कि हमारे माननीय गृह मंत्री

जी इसमें उदारता के साथ विचार करेंगे और यह भाषा, जो 8 करोड़ लोगों की भाषा है, उसकी उपेक्षा नहीं होने देंगे, उसको स्वीकार करेंगे और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान देने के लिए कुछ कहेंगे। अगर वे एक-दो शब्द कहेंगे तो हम बहुत अनुग्रहीत होंगे अन्यथा मैं तो इसको वापिस लेने के लिए बाध्य हूँ क्योंकि एक आश्वासन है और इस आश्वासन को पूरा करने के लिए आशा करता हूँ कि 3,4 या 5 महीने में इस संबंध में सब कार्यक्रम पूरे हो जाएंगे। धन्यवाद।

[उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) पीठासीन हुए]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि गृह राज्य मंत्री जी ने इस प्रश्न पर सरकार के दृष्टिकोण को बड़े अच्छे ढंग से रखा है और मैं समझता हूँ कि इस मामले को लटकाना नहीं चाहिए और जल्दी से जल्दी इसका निष्पादन करना चाहिए। जहाँ तक राजस्थानी भाषा का सवाल है, डा. सिंघवी जी स्वयं जानते हैं कि मैं कई वर्षों तक राजस्थान में रहा हूँ। जिस समय वे रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राजस्थान के वीर रस के गीतों का उल्लेख कर रहे थे तो मुझे मुकुल जी का "सेनानी" याद आ रहा था। हो सकता है कि वही उन्होंने उस समय सुना हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजस्थानी भाषा की जो प्रतिभा है, उसका आदर होना चाहिए, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ देश की 30 से भी अधिक भाषाएँ ऐसी हैं जिनकी ओर से उनको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग है। इसलिए सरकार जब इस बारे में निर्णय करेगी तो सभी पहलुओं पर विचार करके ही कोई निर्णय करेगी।

श्री के.नटवर सिंह : महोदय, आडवाणी जी ने जिक्र किया कि वे राजस्थान में काफी रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वे राजस्थान के ब्रज के हिस्से में अधिक रहे हैं। आप इसको कबुल करें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, मैं अलवर में भी रहा हूँ, भरतपुर में भी रहा हूँ, कोटा में भी रहा हूँ, जयपुर में भी रहा हूँ। वैसे पूरा राजस्थान मैंने देखा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): सिंघवी जी, आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

डा. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि फिलहाल इस प्रस्ताव को वापस लिया जाए। मैं यह आशा करता हूँ कि शीघ्र ही इस मामले में समुचित निर्णय होगा। मैं सदन से इस प्रस्ताव को वापस लेने का निवेदन करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): क्या माननीय सदस्य को विधेयक वापस लेने की सदन की अनुमति है?

सदन की अनुमति से विधेयक वापस हुआ

माननीय एस.एस. अहलुवालिया। वे उपस्थित नहीं हैं। माननीय पी. प्रभाकर रेड्डी। वे भी उपस्थित नहीं हैं। श्री संतोष बागड़ोदिया। वे भी उपस्थित नहीं हैं। श्रीमती सरोज दुबे। वे भी उपस्थित नहीं हैं।

अब हम जम्मू और कश्मीर में नागरिकों और सशस्त्र बलों के परिवार के सदस्यों पर आतंकवादियों द्वारा 14 मार्च, 2002 को किए गए नृशंस हमले के परिणामस्वरूप महिलाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने, इसके निहितार्थों और इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया के संबंध में अल्पकालिक चर्चा आरंभ करेंगे। माननीय प्रणब मुखर्जी।

SHORT DURATION DISCUSSION

The Dastardly Attack by Terrorists on Civilians and Army Personnel and their Family Members in Jammu and Kashmir on 14th May, 2002

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity for raising a discussion under rule 176 on the dastardly attack by terrorists on civilians and army personnel in Jammu and Kashmir on the 14th May, 2002, leading to the killing of a large number of persons including women and children, its implications and the response of the Government thereto. Words are not enough to condemn this barbarism, this heinous crime. The anguish and the sense of outrage felt across the length and breadth of the country cannot be expressed in languages. Sir, the purpose of raising this discussion is not to score some debating points here and there, but to reflect our collective anguish and outrage, and to facilitate the Government to formulate its views, formulate its actions, after hearing the views of the representatives of the people, representing the cross-section of this country. Sir, on the 14th of May, in the evening, the hon. Home Minister expressed his sadness while informing the House about this attack. This latest attack by the terrorists raises certain questions, and we shall have to respond collectively to those questions. This is not the first; rather, this is the latest in the series of these types of acts, and it is part of the proxy war that has been going on, in the name of terrorist activities, in the State of Jammu and Kashmir. It is really unprecedented because of its depth and magnitude.

Sir, coming to seizures, I will give you just one figure about the arms and ammunition seized over a period of ten years, from May, 1990 to April, 2000. 33,763 weapons of various calibre, three million rounds of ammunition, 1,22,332 explosive devices, and a large volume of other war materials were seized. That is the magnitude of the attack, and that is the depth of the attack, that is taking place. It is a cold reality that Pakistan considers that its dream of 'Two-Nation Theory' remains unrealised unless they are in a position to annex Kashmir. To pursue that line, they launched